



9229

क्र. / MGNREGS-MP/NR-1/15
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/10/2015

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला/जिला पंचायत - (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय:- वरिष्ठ महिला नागरिक को मनरेगा योजनांतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने बावत्।

-&-

दिनांक 31/10/2014 को मंत्रालय की कमेटी रूम में म.प्र राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग द्वारा मनरेगा से संबंधी बिन्दुओं पर निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:-

" रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वृद्धमहिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है। वृद्ध महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये इन महिलाओं को अन्य महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल और पानी पिलाने जैसे कार्य में संलग्न किया जा सकता है। "

कृपया म.प्र. राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत ऐसी वरिष्ठ महिला नागरिक जॉब कार्ड धारी को भी की गई अनुशंसा अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

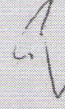
(रघुराज राजेन्द्रन)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष म.प्र. राज्य वरिष्ठ कल्याण आयोग डी-12 माचना कॉलोनी 6 न. स्टॉफ के पास शिवाजी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (मॉनिट) विकास आयुक्त कार्यालय विध्यांचल भवन की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल